

# कार्यवाही विवरण

श्री संतोष सिंह राजपूत (भैंसों डोलोमाईट क्वारी), ग्राम-भैंसों, तहसील-पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा स्थित खसरा क्रमांक 1652/1, कुल क्षेत्रफल-4.497 हेक्टेयर डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-1,00,553 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय बाबत दिनांक 26.11.2021 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान-ग्राम पंचायत भैंसों के हाईस्कूल परिसर, "केशव कुंज मैदान" (धान खरीदी केन्द्र), ग्राम-भैंसों, तहसील-पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :-

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई. ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार श्री संतोष सिंह राजपूत (भैंसों डोलोमाईट क्वारी), ग्राम-भैंसों, तहसील-पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा स्थित खसरा क्रमांक 1652/1, कुल क्षेत्रफल-4.497 हेक्टेयर डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-1,00,553 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर, बिलासपुर में दिनांक 24.10.2021 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द पायोनियर, नई दिल्ली मुख्य संस्करण में दिनांक 24.10.2021 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदनुसार लोक सुनवाई दिनांक 26.11.2021 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान-ग्राम पंचायत भैंसों के हाईस्कूल परिसर, "केशव कुंज मैदान" (धान खरीदी केन्द्र), ग्राम-भैंसों, तहसील-पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, चांपा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, सरपंच/सचिव कार्यालय, ग्राम पंचायत भैंसों, तहसील-पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.), डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भू-तल, पूर्व विंग, नया

सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 26.11.2021 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान-ग्राम पंचायत भैसों के हाईस्कूल परिसर, “केशव कुंज मैदान” (धान खरीदी केन्द्र), ग्राम-भैसों, तहसील-पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्रीमती लीना कोसम, अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री डॉ. शेखर उपाध्याय, पर्यावरण कंसलटेंट. अपलिंका सालुशन टेक्नॉलाजी प्रा0 लि0, नोयडा (उ.प्र.) के द्वारा श्री संतोष सिंह राजपूत (भैसों डोलोमाईट क्वारी), ग्राम-भैसों, तहसील-पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर-चांपा द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका-टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. श्री अशोक सिंह राजपूत, ग्राम-भैंसो :-विकास के कार्यों में कोई आपत्ति नहीं है।
2. श्री आकाश सिंह सरपंच, ग्राम-भैंसो :-जो मेरे यहां क्रेशर के लिए डोलोमाईट से पर्यावरण विभाग से यहां जन सुनवाई रखी गई है। इसमें मेरे तरफ से या मेरे पंचायत की तरफ से इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ये एक खुशी की बात है कि हमारे गांव में कोई कंपनी काम करने के लिए आ रही है। जिसमें हमारे यहां के जितने भी लोग हैं बेरोजगार हैं उनको काम करने का मौका मिलेगा। हमारे यहां गौण खनिज के रूप में एक फंड मिलेगा, जिसे ग्राम पंचायत को विकास करने के में हमें भी सहायता मिलेगी। क्रेशर को जो डोलोमाईट से पर्यावरण विभाग अगर एनओसी देती है, तो मेरे यहां मेरे और मेरे ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। ये बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे कोई कंपनी आई है और हमारे यहां के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से हमारा गांव विकास की ओर आगे जायेगा।
3. श्री अजय सिंह क्षत्री, ग्राम-भैंसो :- हमको क्रेशर खुलने से आपत्ति है।
4. श्री शिवदास पनिका, ग्राम-भैंसो, उपसरपंच :-हमारे ग्राम में बहुत खुशी की बात है। गांव के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे ग्राम को कोई आपत्ति नहीं है।
5. श्री दिलचंद्र दीनकर, ग्राम-डूमरपाली भैंसो :- अगर यहां क्रेशर खुल रहा है तो जो भी कंपनी है हम लोग को काम मिल जाता है, अच्छा भी है वो सब लेकिन बाद में अगर कोई दिक्कत आता है तो इसका जवाबदार कौन होगा। यही पूछना चाहता हूँ।
6. श्री जवाहर यादव, ग्राम-भैंसो :- सहमत नहीं है सर, प्राईवेट जो ये डोलोमाईट खुल रहा है, क्रेशर खुल रहा है। उसमें आसपास के जमीन है। स्वयं का जमीन है जो पट्टेधारी है। पट्टेधारी का जमीन है। वो सब नुकसान हो रहा है। वो किसानों के हित में नुकसान है। साथ ही साथ गांव का भी नुकसान है। ब्लॉस्टिंग से गांव भी प्रभावित पड़ेगा। गांव प्रभावित होगा। इस तरह हमारे गांव में व्यक्तिगत क्रेशर नहीं खुलना चाहिए। ये हमारा आपत्ति है।

7. श्री संतोष सिंह ग्राम-भैंसो :- आपत्ति है। यहां पर किसी प्रकार का डोलोमाईट खदान नहीं खुलना चाहिए। मेरा खुद का जमीन है। खेती जमीन बाधित होगा। इन्हे किसी भी प्रकार का लीज नहीं दी जाये।

8. श्री आदित्य सिंह, ग्राम-भैंसो :- क्रशर नहीं खुलना चाहिए।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर-चांपा तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग दोपहर 1:00 बजे अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर-चांपा द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से डॉ. शेखर उपाध्याय, पर्यावरण कंसलटेंट. अपलिंका सालुशन टेक्नॉलाजी प्रा० लि०, नोयडा (उ.प्र.) श्री संतोष सिंह राजपूत (भैंसों डोलोमाईट क्वारी), ग्राम-भैंसों, तहसील-पामगढ़, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग 1:30 बजे अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर-चांपा द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 01 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 08 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 50 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 31 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

**क्षेत्रीय अधिकारी**  
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,  
बिलासपुर (छ.ग.)

**अपर कलेक्टर**  
**कार्यालय कलेक्टर**  
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)